vinetur

11 दिसंबर की THC सीमा रोकने के लिए सीनेटरों ने पेश किया द्विदलीय विधेयक

प्रस्ताव में 21 वर्ष की राष्ट्रीय खरीद आयु और FDA की निगरानी के साथ भांग से बने अधिकांश उत्पादों की बिक्री जारी रखने की बात है

गुरुवार, 19 नवंबर 2026



मंगलवार, 17 नवंबर को पेश एक द्विदलीय सीनेट विधेयक का उद्देश्य 11 दिसंबर से लागू होने वाले संघीय प्रतिबंध को रोकना है। भांग उद्योग के कई कारोबारियों का कहना है कि इस प्रतिबंध के कारण भांग से बने THC पेय, खाद्य उत्पाद और इसी तरह की अन्य चीजें लगभग पूरी तरह बाजार से बाहर हो जाएंगी।

मिनेसोटा की डेमोक्रेट सीनेटर Amy Klobuchar और मोंटाना के रिपब्लिकन सीनेटर Tim Sheehy ने कहा कि उनके प्रस्ताव, जिसका नाम Hemp Guardrails Act है, से विनियमित भांग-आधारित THC उत्पादों तक पहुंच बनी रहेगी और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नियम लागू होंगे। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब कारोबारियों को संघीय नियम में बदलाव की तैयारी करनी पड़ रही है। नए नियम के तहत किसी भी उत्पाद के प्रति कंटेनर में भांग से प्राप्त THC की मात्रा 0.4 मिलीग्राम तक सीमित हो जाएगी, जो मिनेसोटा समेत कई राज्यों में फिलहाल कानूनी रूप से बिक रहे

उत्पादों में मौजूद मात्रा से काफी कम है।

इस विवाद की जड़ 2018 Farm Bill से मिली उस खामी में है, जिसने भांग को कानूनी बनाया और व्यवहार में भांग से बने नशीले प्रभाव वाले उत्पादों का रास्ता खोल दिया। इसके बाद राज्य की कैनाबिस नियामक व्यवस्थाओं से बाहर बिकने वाले भांग-आधारित THC पेय और खाद्य उत्पाद तेजी से बढ़े। इनमें गैस स्टेशन, सुविधा स्टोर, ब्रुअरी और शराब की दुकानों पर बिकने वाले उत्पाद भी शामिल हैं। 2025 में कांग्रेस ने इस खामी को बंद करने के लिए कानून पारित किया, जिस पर राष्ट्रपति Donald Trump ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत नई संघीय सीमा तय की गई, जो 11 दिसंबर से लागू होनी है।

प्रस्तावित सीनेट विधेयक एक अलग राह अपनाएगा। इसके तहत भांग से बने THC उत्पाद खरीदने के लिए देशभर में न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी और भांग से प्राप्त कैनाबिनॉइड उत्पादों तथा उनसे जुड़े आहार पूरकों की निगरानी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) करेगा। समर्थकों का कहना है कि इस तरीके से उत्पाद दुकानों में उपलब्ध रहेंगे और बिखरे हुए बाजार की जगह अधिक स्पष्ट संघीय नियम लागू होंगे।

Klobuchar ने एक बयान में कहा, “भांग के क्षेत्र में मिनेसोटा देश का अग्रणी राज्य है और हमने दिखाया है कि बच्चों की सुरक्षा करते हुए जिम्मेदारी से काम करने वाले भांग कारोबारियों को समर्थन दिया जा सकता है।” उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संघीय प्रतिबंध से मिनेसोटा और देशभर के किसान, ब्रुअर, छोटे कारोबार और उपभोक्ता प्रभावित होंगे।

मिनेसोटा इस बात का सबसे स्पष्ट उदाहरण बन गया है कि दांव पर क्या लगा है। राज्य का कानून पहले से ही भांग से बने THC उत्पादों की बिक्री की अनुमति देता है और इसमें आयु-सीमा तथा उत्पाद मानक शामिल हैं। यह बाजार बार, ब्रुअरी और खुदरा दुकानों तक फैल चुका है। लेकिन 11 दिसंबर से लागू होने वाला संघीय प्रतिबंध पहले ही अनिश्चितता पैदा कर चुका है। कारोबारियों ने बताया है कि उन्होंने ऑर्डर कम कर दिए हैं, योजनाएं बदल रहे हैं और कुछ मामलों में यह देखने के इंतजार में बाजार से बाहर हो गए हैं कि क्या वॉशिंगटन अपना रुख बदलेगा।

पेय उद्योग के लिए यह विवाद कैनाबिस नियमन से कहीं आगे तक जाता है। बीयर की खपत में नरमी और नए उत्पादों की तलाश के बीच, कुछ ब्रुअरी और वितरकों के लिए भांग से बने THC पेय कारोबार में विविधता लाने का एक तरीका बन गए हैं। यह श्रेणी उन्हीं सामाजिक और मनोरंजन के अवसरों के लिए अल्कोहल वाले पेय से भी प्रतिस्पर्धा करती है। ऐसे में, अगर संघीय सख्ती आगे बढ़ती है तो पेय बाजार के व्यापक परिदृश्य का एक हिस्सा बदल सकता है।

Minnesota Craft Brewers Guild के सरकारी और उद्योग संबंध निदेशक Bob Galligan ने कहा कि उन्होंने विधेयक पर सीनेटरों के साथ काम किया है और इसके मौजूदा स्वरूप का समर्थन करते हैं। उनके मुताबिक, मिनेसोटा का कानून विधेयक में प्रस्तावित संघीय ढांचे से अधिक सख्त है। इसलिए, अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है तो राज्य के कारोबार पहले की तरह काम जारी रख सकेंगे। यह गिल्ड मिनेसोटा में भांग से बने पेय बनाने या बेचने वाली दर्जनों ब्रुअरी का प्रतिनिधित्व करता है।

Galligan ने कहा कि प्रतिबंध के बजाय नियमन की मांग करने में मिनेसोटा के सांसदों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। उनका तर्क है कि राज्य का अनुभव दिखाता है कि युवाओं की पहुंच सीमित करने और बाजार के मानक तय करने वाले नियमों के तहत नशीले प्रभाव वाले भांग उत्पाद बेचे जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्पादकों के 2025 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि संघीय प्रतिबंध लागू होने पर हजारों नौकरियां खत्म हो सकती हैं।

Galligan ने कहा कि अगर कांग्रेस संघीय प्रतिबंध को पलट भी दे, तो कुछ नुकसान शुरू हो चुका है। किसान फसल दुकानों तक पहुंचने से कई महीने पहले बुवाई के फैसले लेते हैं, जबकि पेय निर्माताओं को पेय तैयार करने, बनाने और वितरित करने के लिए समय चाहिए। उन्होंने कहा, “समय-सीमा 11 दिसंबर नहीं है। समय-सीमा तो मई में ही थी, जब किसान जमीन में भांग बोना शुरू कर रहे थे। इसलिए आपूर्ति शृंखला में समस्या होगी।”